

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

2

3



अभिलेख उपस्थापित।

-3

(1.) रामेश्वर दास पिता स्व० तेजो रविदास,
(2.) नेमन दास, (3.) लालमन राम दोनों के पिता स्व० बिशुन
राम, निवास स्थान हुड़हुड़, थाना-सदर, वर्तमान थाना-बड़ा बाजार,
हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की
धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुड़हुड़, थाना
नं०-147, खाता संख्या-115, प्लॉट संख्या-2528, रकवा
0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि मानो कुमारी
पिता शिबु राम पति अनिल कुमार, निवास स्थान ग्राम-खरांटी,
पोस्ट-गोसाईबलिया, थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ
भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति,
आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए
आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में
परमिशन वाद संख्या-722/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक
3740/रा० दिनांक 11.10.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर
को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित
प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 3046
दिनांक 29.12.2022 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का
तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया
है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं
किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त
प्रतिवेदनानुसार -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं
हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से
हासिल है। प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी
रैयत हेमन चमार वगै० हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल
रकवा 3.70 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा
धारित कुल रकवा 1.19 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-
70/1 पर तेजो चमार वगै० के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान
रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। खतियानी/जमाबंदी रैयत
आवेदक संख्या-01 के पिता एवं आवेदक संख्या 02 एवं 03 के
दादा वगै० हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा
के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की
अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 1.15 एकड़
भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है।
प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग
की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-
4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी
1	2	
	<p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) रामेश्वर दास पिता स्व० तेजो रविदास, (2.) नेमन दास, (3.) लालमन राम दोनों के पिता स्व० बिशुन राम, निवास स्थान हुड़हुड़, थाना-सदर, वर्तमान थाना-बड़ा बाजार, हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुड़हुड़, थाना नं०-147, खाता संख्या-115, प्लॉट संख्या-2528, रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि मानो कुमारी पिता शिबु राम पति अनिल कुमार, निवास स्थान ग्राम-खरांटी, पोस्ट-गोसाईबलिया, थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	